

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017.

सं0 07/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) पहले पैरा में,--

(i) सारणी 1, टिप्पण और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“सारणी-1

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)			
		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)			चबाने वाला तम्बाकू (सामान्यतः फिल्टर खैनी के रूप में ज्ञात)
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच 450 तक	प्रति मिनट 451 पाउच और उससे ऊपर तक	कोई भी गति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

		चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित	चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित	चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित	
		(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)	(5क)	(5ख)	
1.	1.00 रु तक	32.39	30.77	46.28	43.96	98.34	93.42	19.67
2.	1.00 रु से अधिक किन्तु 1.50 रु से अनधिक	48.59	46.16	69.41	65.94	147.50	140.13	29.50
3.	1.50 रु से अधिक किन्तु 2.00 रु से अनधिक	58.31	55.07	83.30	78.67	177.01	167.17	37.37
4.	2.00 रु से अधिक किन्तु 3.00 रु से अनधिक	87.46	82.60	124.94	118.00	265.51	250.76	53.25
5.	3.00 रु से अधिक किन्तु 4.00 रु से अनधिक	108.84	102.36	155.49	146.23	330.41	310.74	67.45
6.	4.00 रु से अधिक किन्तु 5.00 रु से अनधिक	136.05	127.95	194.36	182.79	413.01	388.43	80.10
7.	5.00 रु से अधिक किन्तु 6.00 रु से अनधिक	163.26	153.54	233.23	219.35	495.61	466.11	91.31
8.	6.00 रु से अधिक किन्तु 7.00 रु से अनधिक	259.14	242.95	370.21	347.07	786.69	737.52	101.20
9.	7.00 रु से अधिक किन्तु	259.14	242.95	370.21	347.07	786.69	737.52	109.87

	8.00 रु० से अनधिक							
10.	8.00 रु० से अधिक किन्तु 9.00 रु० से अनधिक	259.14	242.95	370.21	347.07	786.69	737.52	117.43
11.	9.00 रु० से अधिक किन्तु 10.00 रु० से अनधिक	259.14	242.95	370.21	347.07	786.69	737.52	123.95
12.	10.00 रु० से अधिक किन्तु 15.00 रु० से अनधिक	365.39	347.12	521.99	495.89	1109.23	1053.77	123.95 +12.40 x (की- 10)
13.	15.00 रु० से अधिक किन्तु 20.00 रु० से अनधिक	457.96	435.06	654.23	621.52	1390.24	1320.73	
14.	20.00 रु० से अधिक किन्तु 25.00 रु० से अनधिक	538.10	511.20	768.72	730.28	1633.53	1551.85	
15.	25.00 रु० से अधिक किन्तु 30.00 रु० से अनधिक	606.98	576.63	867.12	823.76	1842.62	1750.49	
16.	30.00 रु० से अधिक किन्तु 35.00 रु० से अनधिक	665.66	632.37	950.94	903.39	2020.74	1919.70	
17.	35.00 रु० से अधिक किन्तु 40.00 रु० से अनधिक	715.10	679.35	1021.58	970.50	2170.85	2062.31	
18.	40.00 रु० से अधिक किन्तु	756.22	718.41	1080.32	1026.30	2295.68	2180.89	

क्रम सं०	खुदरा कीमत (पाउच)	विक्रय (प्रति	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)				
			जर्दा सुगंधित तम्बाकू			अविनिर्मित तम्बाकू	
			प्रति 300 मिनट पाउच	प्रति 301 मिनट पाउच	प्रति 451 मिनट पाउच	कोई गति	

		तक	450 तक	और उससे ऊपर तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित
					(6क)	(6ख)
1.	1.00 रु0 तक	32.39	46.28	98.34	16.24	15.43
2.	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	48.59	69.41	147.50	24.36	23.14
3.	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनधिक	58.31	83.30	177.01	29.23	27.61
4.	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनधिक	87.46	124.94	265.51	43.85	41.42
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	108.84	155.49	330.41	54.57	51.32
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	136.05	194.36	413.01	68.21	64.15
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु	163.26	233.23	495.61	81.86	76.98

	6.00 रु० से अनधिक					
8.	6.00 रु० से अधिक किन्तु 7.00 रु० से अनधिक	259.14	370.21	786.69	129.93	121.81
9.	7.00 रु० से अधिक किन्तु 8.00 रु० से अनधिक	259.14	370.21	786.69	129.93	121.81
10.	8.00 रु० से अधिक किन्तु 9.00 रु० से अनधिक	259.14	370.21	786.69	129.93	121.81
11.	9.00 रु० से अधिक किन्तु 10.00 रु० से अनधिक	259.14	370.21	786.69	129.93	121.81
12.	10.00 रु० से अधिक किन्तु 15.00 रु० से अनधिक	365.39	521.99	1109.23	183.20	174.04
13.	15.00 रु० से अधिक किन्तु 20.00 रु० से अनधिक	457.96	654.23	1390.24	229.62	218.13
14.	20.00 रु० से अधिक किन्तु 25.00 रु० से अनधिक	538.10	768.72	1633.53	269.80	256.31

15.	25.00 रु० से अधिक किन्तु 30.00 रु० से अनधिक	606.98	867.12	1842.62	304.33	289.12
16.	30.00 रु० से अधिक किन्तु 35.00 रु० से अनधिक	665.66	950.94	2020.74	333.75	317.06
17.	35.00 रु० से अधिक किन्तु 40.00 रु० से अनधिक	715.10	1021.58	2170.85	358.54	340.62
18.	40.00 रु० से अधिक किन्तु 45.00 रु० से अनधिक	756.22	1080.32	2295.68	379.16	360.20
19.	45.00 रु० से अधिक किन्तु 50.00 रु० से अनधिक	789.83	1128.33	2397.71	396.01	376.21
20.	50.00 रु० से अधिक	789.83+15.80x (की-50)	1128.33+22.57 x (की-50)	2397.71+47.95x (की-50)	396.01+7.92 x (की-50)	376.21+7.52 x (की-50)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।				

दृष्टांत 2 :- किसी जर्दा सुगंधित तम्बाकू के पाउच के लिए, प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55.00 रु० (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = $1128.33 + 22.57 \times (55-50)$ लाख रुपए = 1241.18 लाख रुपए होगी ।";

(ख) पैरा 3 में, सारणी 3 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“सारणी-3

क्रम सं०	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	0.8852	0.7864
2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.1148	0.1165
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.0	0.0971
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0.”.

[फा.सं० 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 16/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा, जो भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 233(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।